# प्रदेश राजपत्र

प्रदेश नं. १, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २) विराटनगर, नेपाल, पुष २१ गते, २०७६ साल (अतिरिक्ताङ्क ३७

## भाग २

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. १, विराटनगर, नेपाल

## मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकारले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको नियमावली सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ।

### प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६ लाई संसोधन गर्न (प्रथम संशोधन) बनेको नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६ लाई संसोधन गर्न वाञ्छनिय भएकोले,

प्रदेश नं. १ को मन्त्रिपरिषद्ले यो नियमावली बनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. १

१. <u>संक्षिप्त, नाम र प्रारम्भः</u> (१) यो नियमावलीको नाम **"प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६"** रहेको छ ।

(२) यो नियमावली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे पछि लागु हुनेछ ।

२. <u>नियम ४ को उपनियम (१) खण्ड (ग) मा संशोधनः</u> प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६ (यस पछि मूल नियमावली भनिएको) को नियम ४ उपनियम (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ ।

"नियम ४ (१) (ग) महिला दलित पिछडिएको क्षेत्रको सशक्तिकरण, खेलकूद, उद्यमशिलता विकास तालिम वा अभिमुखिकरण कार्यक्रमका लागि प्रत्येक कार्यक्रममा कम्तीमा पचास हजार भन्दा घटी नहुने गरी बढिमा पन्ध्र वटा कार्यक्रम ।"

३. <u>नियम ११ को उपनियम (२) मा संशोधनः</u> प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६ (यस पछि मूल नियमावली भनिएको) को नियम १५ उपनियम (२) को सट्टा देहायको उपनियम (२) राखिएको छ ।

"नियम ११ (२) उपनियम १ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति र सम्वन्धित सदस्यले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत प्राप्त गर्ने प्रशासनिक खर्च वापतको रकम जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहमा पठाइने छ र उक्त सम्वन्धीत स्थानीय तहबाट जिल्ला समन्वय समिति र सम्वन्धित सदस्यले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत तीन किस्तामा रकम भुक्तानी लिने छ।"

४. <u>अनुसूचीमा हेरफेरः</u> प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६ (यस पछि मूल नियमावली भनिएको) को अनुसूची–१ को सट्टा देहायको अनुसूची–१ राखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. १

अनुसूची–१

(नियम ४ सँग सम्बन्धित)

श्री जिल्ला समन्वय समिति

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यले पचास लाख रुपैयाँसम्मको कार्यक्रम छनौट गर्ने व्यवस्था प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६ बमोजिम आर्थिक वर्ष....../.... को लागि देहायका कार्यक्रम पेश गरेको छु।

**जिल्लाः** **आर्थिक वर्ष**

| क्र. सं. | संचालन हुने | | | | विनियोजित रकम | प्रशासनिक खर्च | | | | कार्यक्रम बजेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्यक्रम को नाम | स्थानीय तहको नाम | टोल | वडा नं. | | जिल्ला समन्वय समिति | स्थानीय तह | प्रतिनिधि | जम्मा | |
| १ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| २ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ३ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ४ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ५ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ६ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ७ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ८ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ९ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १० | | .... पालिका | | | | | | | | |
| ११ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १२ | | .... पालिका | | | | | | | | |

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. १

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १४ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १५ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १६ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १७ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १८ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| १९ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| २० | | .... पालिका | | | | | | | | |
| २१ | | .... पालिका | | | | | | | | |
| | | | | **जम्मा** | | | | | | |

नामः

स्वीकृत मिति : २०७६/०९/२१

प्रदेश सभा सदस्य

आज्ञाले,
भरतमणि रिजाल
प्रदेश सरकारको सचिव

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. १



प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं. १, विराटनगरमा मुद्रित।
**website:- moial.p1.gov.np**